न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/56/2017

अन्तेश कुमारी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासीनगला जटमासी तहसील रुपवास जिला भरतपुर जरिये माता सरोज

.......प्रार्थी

बनाम

1—बृजेन्द्र
2—मानसिंह
3—थानसिह
4—नवलसिंह

पिसरान किशनी जाति जाट निवासी नगल जटमासी तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व मुकदमें उनवानी अन्तेश कुमारी वगे. बनाम बुजेन्द्र वगे0 दावा संख्या 49/2017 आरटीएक्ट न्यायालय एस.डी.ओ. रुपवास

———————

निर्णय दिनांक 6.2.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एसडीओ रुपवास के न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी रुपवास से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण ने गांव में स्पष्ट रुप से कहा है कि हमारे वकील साहब से एस.डी.ओ. साहब से बातचीत हो गई है दावा हमारे हक में होगा। प्रार्थीयान को पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी रुपवास से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ.रुपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय रुपवास के यहॉ पर दावा विचाराधीन है। प्रार्थी महिला है अप्रार्थीगण का प्रभाव है। अप्रार्थी प्रार्थीया को धमकी देते हैं कि दावा हमारे पक्ष में होगा। ऐसी स्थिति में विचाराधीन दावा को रुपवास न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..........2

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। अप्रार्थी. का बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है। उन्हें प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रुपवास न्यायालय में विचाराधीन दावा नम्बर 67/2017 व 49/17 प्रार्थना पत्र 212 उनवानी अन्तेश कुमारी बनाम बृजेन्द्र वगै. को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के यहाँ मुन्तकिली किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बयाना/ उपखण्ड अधिकारी रुपवास को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official